सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश चौधरी आर0ए0एस0
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 61/2013

1. श्री महेन्द्रसिंह वयस्क पुत्र श्री लाडू
2. श्रीमती जनता वयस्क पत्नि श्री महेन्द्रसिंह0

जाति मेहरात नि. ग्राम राजियावास तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

———प्रार्थीगण

ब ना म

1– श्रीमती नैनी वयस्क पत्नि स्व. श्री केसा
2– श्री नरपतसिंह वयस्क पुत्र श्री लाडू
3– श्री शमशेरसिंह वयस्क पुत्र श्री लाडू
4– श्रीमती मदीना पत्नि श्री नरपतसिंह
5– श्रीमती यशोदा पत्नि श्री शमशेरसिंह
6– श्रीमती जमीला उर्फ जमेला पत्नि स्व. श्री लाडू
समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम राजियावास तहसील ब्यावर जिला अजमेर
7– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.)
8– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
9– श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर जिला अजमेर (राज.)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 05.11.2018

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि मौजा ग्राम राजियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राजियावास तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 1418, 1479, 1486, 1489, 1499 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 05–00–00 तथा खसरा संख्या 1487, 1498 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 01–10–00 तथा खसरा संख्या 1488, 1497 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 02–04–10 स्थित है। उपरोक्त वर्णित पक्षकारान की पुश्तैनी आराजियात चली आ रही है तथा उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार पूर्व में वादीगण के दादा/दादाससुर श्री भूरा जी थे। श्री भूरा जी का स्वर्गवास हो गया तत्पश्चात् उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार उनके तीन पुत्र श्री केशाजी, श्री लाडूजी एवं श्री दूलाजी हो गये। भूरा जी का सिजरा वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित है। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार श्री केशा, श्री लाडू व श्री दूला हो गये तथा प्रत्येक का उक्त आराजी में 1/3–1/3 हिस्सा हो गया तत्पश्चात् श्री दूला जी ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.11.1979 के द्वारा अपने भ्राता श्री केशा की पत्नि अर्थात् अप्रार्थीया नम्बर 1 को वसीयत कर दी। इस प्रकार श्री दूला के नाऔलाद फौत होने तथा श्री केशा व श्री लाडू के फौत होने के पश्चात् उक्त आराजी में 2/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार अप्रार्थीया नम्बर 1 हो गई तथा शेष 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार श्री लाडू जी दोनों पत्नियां श्रीमती सायरी एवं अप्रार्थीया नम्बर 6 श्रीमती जमीला उर्फ जमेला हो गई तथा दोनों का उक्त 1/3–1/3 हिससे में आधा–आधा हिस्सा अर्थात् 1/6–1/6 हिस्सा हो गया। श्रीमती सायरी का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रार्थी नम्बर 1 हो गया तथा अप्रार्थीया नम्बर 6 को प्राप्त 1/6 हिस्से में उनके पुत्र प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 भी संयुक्त खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त आराजी में अप्रार्थी नम्बर 2, 3, 6 का प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा चला आ रहा है । तत्पश्चात् अप्रार्थीया नम्बर 1 ने पद नम्बर 1 के उप पद (ख) व (ग)

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

में वर्णित अपना 2/3 हिस्सा जरिये बेचान के प्रार्थिया नम्बर 2 को विक्रय कर दिया तथा 2/3 हिस्सा प्रार्थीया नम्बर 2 को संभला दिया। इस प्रकार उप पद (ख) व (ग) में 2/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार प्रार्थीया नम्बर 2 हो चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजियात आज दिवस तक संयुक्त ही चली आ रही है जिसका आज दिवस तक कोई बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हो रखा है जिसकी वजह से अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 की नियत खराब हो चुकी है तथा भूमि संयुक्त होने से अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 आये दिन विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अब उक्त आराजी को संयुक्त नहीं रखना चाहते हैं तथा अब उक्त आराजी का बंटवारा करवाकर अपना हिस्सा अलग करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 की नियत खराब चली आ रही है। इस कारण अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 अब प्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करने तथा उक्त आराजियात को हड़पने पर आमादा है। इसी बदनियतिवश अप्रार्थीगण ने आपस में मिलीभगत करते हुए अप्रार्थीया नम्बर 6 जिसका नाम जमीला उर्फ हमेला है, उसे लाडू जी की प्रथम पत्नि श्रीमती सायरी दर्शाते हुए उक्त आराजी में प्राप्त हिस्से से अधिक भूमि का बेचान जरिये बेचाननामा दिनांक 05.04.2012 द्वारा अप्रार्थीया नम्बर 4 व 5 के पक्ष में कर दिया है तथा उसके आधार पर अप्रार्थीया नम्बर 4 व 5 के हक में राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 1149 दिनांक 17.05.2012 भी किया जा चुका है जबकि कानूनन भी अप्रार्थीया नम्बर 6 का नाम श्रीमती सायरी नहीं रहा है तथा श्रीमती सायरी श्री लाडू की प्रथम पत्नि अर्थात् पत्नि अर्थात् प्रार्थी नम्बर 1 की माता का नाम था तथा अप्रार्थीया नम्बर 6 श्री लाडू की द्वितीय पत्नि है। इस कारण उक्त बेचाननामा कानूनन भी गलत, अवैध व गैरकानूनी है तथा प्रार्थीगण के हितों एवं अधिकारों पर पूर्णतया शून्य एवं बेअसर है तथा उक्त बेचान विधि में कोई मान्यता भी नहीं रखता है तथा उक्त बेचान के आधार पर अप्रार्थीया नम्बर 4 व 5 को कोई कब्जा भी नहीं संभलाया गया है। इस कारण कानूनन उक्त बेचाननामा व नामान्तरकरण कानूनन नल एण्ड वोईड है तथा प्रार्थीगण अब कानूनन राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने प्रार्थीगण को उक्त आराजी से अपना कब्जा हटा लेने की धमकी दी जिस पर प्रार्थीगण ने उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया किंतु वे अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कारण इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 स्वय, उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, एजेंट, मुख्तयार अथवा अन्य कोई व्यक्ति प्रार्थना पत्र के पद नम्बर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण के हक हिस्से, कब्जे काश्त आदि की आराजी में ना तो आवे, ना ही उसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी ही करें, ना ही कोई बाधा अथवा अड़चन उत्पन्न करें। प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजियात अथवा उसके किसी भी भाग से बेदखल नहीं करें, ना ही किसी अन्य को बेचान करें, ना ही बेचान का कोई विलेख निष्पादित करें, ना ही कोई अनुबंध करें, ना प्रतिफल की कोई राशि प्राप्त करें, ना पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे एव ना ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम नामान्तरकरण करवावे। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को भी पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीया नम्बर 1 लगायत 6 द्वारा उक्त आराजियात अथवा उसके किसी भाग के संबंध में गलत अंकन के आधार पर किसी तरह का कोई हस्तान्तरण विलेख अथवा कोई नामान्तरकरण आवेदन पेश किया जाने पर अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में ना तो कोई विलेख पंजीयन करें, ना ही पंजीयन संबंधी कोई कार्यवाही करे, ना ही किसी अन्य के नाम नामान्तरकरण करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधिएवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ जिसमें अपार्थीगण ने सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थीगण ने स्व. कैशा की पुत्रियां श्रीमती जशोदा, श्रीमती कदीना व श्रीमती सम्पत पिसरान स्व. केशा जी को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वे इस डिक्लेरेशन, विभाजन के दावे में आवश्यक पक्षकार हैं, इसलिए प्रार्थीगण का वाद नॉन जोईन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के बिनाह पर कानूनन चलने योग्य नहीं है। वादपत्र के टाईटल में अप्रार्थी संख्या 6 श्रीमती जमीला उर्फ जमैला का नाम जो उसकी शादी के पहले का है, जबकि शादी के बाद उसका नाम सायरी रखा गया है, उस नाम से दावा नहीं किया गया है, इसलिये प्रार्थीगण का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर खसरा नम्बर 1696, 1697, 1257/1, 1503, 1634 की भूमियों को इस विभाजन को छोड़कर आंशिक विभाजन का दावा किया है, जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। श्रीमती नैनी बेवा केशा जी का कोई 2/3 हिस्सा नहीं है, क्योंकि अव्वल तो दूला ने कोई वसीयतनामा श्रीमती नैनी के हक में तहरीर तकमील नहीं किया और कोई दस्तावेज बताते हैं, तो वह बिल्कुल झूठा बनावटी व फर्जी है। दोयम उक्त तथाकथित वसीयतनामा आज तक एक्ट अपोन नहीं हुआ , न नैनी का नाम उक्त तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर दाखिल खारिज़ खुला और न उसका कब्जा उक्त तथाकथित वसीयतनामें के अनुसार विद्यमान रहा। उस सूरत में श्रीमती जसोदा, श्रीमती मदीना व श्रीमती सम्पत्त व नैनी का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा होता है, इसलिये श्रीमती नैनी व केशा जी के द्वारा जो रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 11.12.2001 के द्वारा श्रीमती जनता पत्नि श्री महेन्द्रसिंह के हक में बेचाननामा करना बताया जाता है, वह बेचाननामा खसरा नम्बर 1487, 1498, 1488, 1497 के विषय में जो 2/3 हिस्से का 3/4 हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा बेचान करना बताया है वह भी अवैध व प्रभावशून्य है। क्योंकि श्रीमती नैनी का व उक्त कैशा का कोई 2/3 हिस्सा नहीं था इसलिये जो श्रीमती जनता का 1/2 हिस्सा होना उपरोक्त भूमियों में बताया है, वह गलत व असत्य है। क्योंकि श्रीमती नैनी व कैशा ने कोई हिस्सा नहीं बेचा बल्कि वे अनपढ़ अंगूठा छाप है, उन्होंने कोई अंगूठा उक्त बेचाननामें पर नहीं किया और उक्त दस्तावेज बिल्कुल झूंठा व बनावटी व बिनाबदल है। इसी प्रकार से श्रीमती नैनी के द्वारा जो दिनांक 18.04.2006 को जनता पत्नि महेन्द्रसिंह के हक में जो खसरा संख्या 1696, 1697, 1257/1, 1503, 1634, 1487 व 1498 के विषय में बेचान करना बताया है, वह बेचाननामा भी बिल्कुल झूंठा व बनावटी दस्तावेज है। जिसमें से खसरा नम्बर 1696, 1697, 1257/1, 1503, 1634 का तो दावा ही नहीं किया गया है, जबकि श्रीमती नैनी अंगूठा छाप है, और उसने किसी भी बेचाननामे पर कोई अंगूठा निशानी नहीं की न उसके पति ने की, न किसी से दस्तावेज टाईप करवाया इसलिये उक्त दोनों दस्तावेज अवैध व प्रभावशून्य है। दोयम स्व. कैशा के केवल मात्र श्रीमती नैनी ही उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि कैशा की तीन पुत्रियां श्रीमती जसोदा, श्रीमती मदीना व श्रीमती सम्पत भी उत्तराधिकारी है। इसलिये विकल्प में यह भी कथन है, कि यदि ऐसे बेचाननामें को साबित माना जावे या साबित कर भी दिया जावे तो भी अकेली नैनी को उक्त भूमियों को विक्रयकरने का कोई अधिकार नहीं है, और न उसने कोई कब्जा श्रीमती जनता को दिया। उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों में जिसका प्रार्थीगण ने दावा किया है, उसमें जसोदा, मदीना, श्रीमती सम्पत का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है एवं श्रीमती नैनी बेवा केशा का 1/8 हिस्सा है और शेष 1/2 हिस्से की भूमियों में महेन्द्रसिंह का 1/8 हिस्सा और नरपतसिंह का 1/8 हिस्सा व शमशेरसिंह का 1/8 हिस्सा तथा श्रीमती जमीला उर्फ सायरी बेवा लाडू का 1/8

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

हिस्सा है जो सायरी ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 1418, 1479, 1486, 1489, 1487, 1498, 1488, 1497 में निहित था वह अप्रार्थी संख्या 4 व 5 में निहित हो गया है, इसलिये उसके स्थान पर अप्रार्थी संख्या 4 व 5, 1/8 हिस्से की खातेदार हो चुकी है। इसलिये उपरोक्तानुसार हिस्से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के घोषित कराये जाने एवं केशा की तीन पुत्रियों के हिस्से भी घोषित कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है, इसलिये यह काउन्टर क्लेम पेश किया जा रहा है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के हक में तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण स्वयं तथा जरिये उनके नोकर, चाकर, दोस्त, हाली, एजेन्ट, मुख्तयार आदि उपरोक्त खसरा नम्बर 1696, 1697, 1257/1, 1503, 1634 के विषय में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के हक हिस्से, कब्जे अधिकार काश्त आदि की आराजी में ना आवे, ना ही उसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी ही करे ना ही कोई बाधा उत्पन्न करें अथवा उसके किसी भी भाग से बेदखल नहीं करें। उपरोक्त आराजियात के विषय में हस्तान्तरण भरग्रस्त, ऋणग्रस्त नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को भी पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियात अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में गलत अंकन के आधार पर किसी तरह का कोई हस्तान्तरण विलेख अथवा नामान्तकरण आवेदन पेश किया जाने पर अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में ना तो कोई विलेख पंजीयन करे ना ही पंजीयन संबंधी कोई कार्यवाही करे ना ही किसी अन्य के नाम नामान्तरकरण करें।

उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् में ग्राम राजियावास पटवार क्षेत्र राजियावास की जमाबन्दी संवत् 2066–69 के खाता संख्या 294 में अंकित खसरा संख्या 1418 रकबा 01–16–00, 1479 रकबा 00–10–10, 1486 रकबा 01–15–00, 1489 रकबा 00–12–00, 1499 रकबा 00–06–10 कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 05–0–00 में नैनी बेवा केशा 2/3 हि. महेन्द्रसिंह नरपतसिंह शमशेरसिंह पि. लाडू व सायरी बेवा लाडू 1/3 हिस्सा कौम मैरात सा. देह खातेदार दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामा.सं. 1149 दिनांक 17.05.2012 के नोट अनुसार बेचान से ख.नं. 1418 रकबा 01–16–00, 1479 रकबा 00–10–10, 1486 रकबा 01–15–00, 1489 रकबा 00–12–00 पर सायरी बेवा लाडू के स्थान पर मदीना पत्नि नरपत, यशोदा पत्नि शमशेर कौम मेरात के नाम नवीन अंकन स्वीकार होना दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 183 में अंकित खसरा संख्या 1487 रकबा 00–19–00, 1498 रकबा 00–11–00 में जनता धर्मपत्नि महेन्द्रसिंह 1 हि. महेन्द्रसिंह नरपतसिंह शमशेरसिंह पि. लाडू व सायरी बेवा लाडू कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामान्तकरण संख्या 1149 दिनांक 17. 05.2012 के नोट अनुसार बेचान से सम्पूर्ण खाते में सायरी बेवा लाडू कौम मेरात के स्थान पर मदीना पत्नि नरपत यशोदा पत्नि शमशेर कौम मेरात के नाम नवीन अंकन स्वीकार होना दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 184 में अंकित खसरा संख्या 1488 रकबा 01–17–00, 1497 रकबा 00–07–10 में जनता पत्नि महेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह नरपतसिंह शमशेरसिंह पि. लाडू व सायरी बेवाह लाडू कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामान्तकरण संख्या 1149 दिनांक 17.05.2012 के नोट अनुसार बेचान से सम्पूर्ण खाते में सायरी बेवा लाडू कौम मेरात के स्थान पर मदीना पत्नि नरपत यशोदा पत्नि शमशेर कौम मेरात के नाम नवीन अंकन स्वीकार होना दर्ज

.................लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

है। पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 05.04.2012 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें श्रीमती सायरी बेवा श्री लाडू जाति मेरात निवासी राजियावास द्वारा खसरा संख्या 1418, 1479, 1486, 1489 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 04–13–10 तथा खसरा संख्या 1487, 1498, 1488, 1497 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 03–14–10 में अपना चुकता हक हिस्सा क्रेता श्रीमती मदीना पत्नि श्री नरपत, श्रीमती यशोदा पत्नि श्री शमशेर जाति मेरात निवासी राजियावारा को बेचान किया जाना अंकित है। श्रीमती सायरी देवी की मृत्यु का प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें सायरीदेवी की मृत्यु दिनांक 15.09.1967 में होना अंकित है। छात्र रजिस्टर पत्रक की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें जमीला पुत्री घीसाजी अंकित है तथा जन्म दिनांक 01.01.1950 दर्ज है। ग्राम पंचायत राजियावास द्वारा जारी सजरा की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें लाडूसिंह के दो पत्नियां सायरीदेवी व जमेला होना अंकित किया गया है जिसमें सायरीदेवी के एक पुत्र महेन्द्रसिंह तथा जमेला के दो पुत्र नरपसिंह व शमशेरसिंह होना अंकित है। दस रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर महेन्द्रसिंह पुत्र श्री लाडूसिंह का एक शपथ पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत है जिसमें सायरी देवी का देहान्त 15.09.1967 में होना बताया है। पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 13–11–1979 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जो दुला वल्द भूरा कोम मेरात साकिन राजियावास द्वारा 1259, 1418, 1479, 1480, 1486, 1487, 1488, 1489, 1447, 1498, 1499, 1501, 1502 कुल कित्ता 13 कुल रकबा 16–10–00 का तीसरा हिस्सा रकबा 05–10–00 तथा खसरा संख्या 1696, 1647, 1697 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 06–00–10 का आधा हिस्सा रकबा 03–00–05 तथा खसरा संख्या 1257, 1503, 1634 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 01–06–00 को श्रीमती नैनी जोजा केसा जी कौम मेरात साकिन राजियावास को वसीयत किया जाना अंकित है।

अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् में मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें साबिक ख.सं. 1118 के हाल नम्बर 1487, 1486 बने हैं तथा साबिक ख.सं. 1119 के हाल नम्बर 1488, 1486, 1487 बने हैं तथा साबिक ख.सं. 1126 के हाल नम्बर 1497, 1498 बने हैं तथा साबिक खसरा नम्बर 1131 के हाल नम्बर 1503, साबिक ख.सं. 957 के हाल नम्बर 1257, साबिक ख.सं. 1234 के हाल नम्बर 1634 तथा साबिक ख.सं. 1285 के हाल नम्बर 1696, 1697 बने होना दर्ज है। इसी प्रकार मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा सं. 958 के हाल नम्बर 1259, साबिक ख.सं.1064 के हाल नम्बर 1418, साबिक ख.सं. 1113 के हाल नम्बर 1479, 1495, साबिक ख.सं. 1114 के हाल नम्बर 1479, 1480, साबिक ख.सं. 1120 के हाल नम्बर 1485, साबिक ख.सं. 1124 के हाल नम्बर 1494, साबिक ख.सं.1130 के हाल नम्बर 1501, 1502 तथा साबिक ख.सं. 1232 क हाल नम्बर 1250 बने होना अंकित है। खेवट जमाबन्दी सन् फसली 1350 के खाता संख्या 158 में अन्य सहखातेदारान के साथ लाडू व केशा ना.बा. अजवतन मुस्मात बजी बहिस्से बराबर पिसरान भूरा कोम मेरात का 1 हिस्सा दर्ज है। खतौनी जमाबन्दी सन् फसली 1350 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 1 में डाउ व दुला व लाडू व केशा पिसरान मोती कौम महरात साकिननान देह खुदकाश्त मालकान दर्ज है जिसमें साबिक खसरा संख्या 958, 1113, 1126, 1130, 1119, 1064 अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 2 में डाउ व दूला व लाडू व केशा पिसरान मोती कौम महरात साकिननान देह खुदकाश्त मालिक दर्ज है जिसमें साबिक खसरा संख्या 979, 1234, 1235 अंकित है। खेवट मौजा राजियावास सन फसली 1364 से 1365 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें पूर्वानुसार अंकन चले आ रहे हैं। जमाबन्दी संवत् 2014–2017 के खाता संख्या 156 अ/405 में साबिक खसरा

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

संख्या 957, 1124 में दाउ वल्द भूरा कौम मेरात सा. देह तथा खाता संख्या 409 में साबिक खसरा संख्या 958, 1130, 1119, 1113, 1126, 1114 दाउ व दूला अजवतन मुसम्मात धन्नी बहिस्से बराबर 1 हि. लाडू व केशा नाबालिगान अजवतन मु. बज्जी बहिस्से बराबर 1 हि. पि0 भूरा कोम मेरात सा. देह दर्ज है व नाम कृषक के कॉलम में दाद वल्द भूरा कौम मेरात सा. देह खुदकाश्त दर्ज है तथा खाता संख्या 410 में साबिक खसरा संख्या 1064 में दाउ व दूला पि. भूरा कोम मेरात सा. देह दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 411 में साबिक खसरा संख्या 1118 में दाउ मजकूरान गैर काबिजान काबिज दकियन हमीरा व हेमा पि. पहाड़ कौम मेरा सा. देह दर्ज है तथा नाम कृषक के कॉलम में दाउ वल्द भूरा कोम मेरात सा. देह खुदकाश्त दर्ज है। ग्राम राजियावास की जमाबन्दी संवत् 2018–21 के खाता संख्या 292 में अंकित साबिक खसरा संख्या 957, 1124 दाउ वल्द भूरा कौम मेरात सा. देह के नाम दर्ज है जिसके विशेष विवरण के कॉलम में बेचान से नया अंकन होना दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 293 में अंकित खसरा संख्या 958, 1130, 1119, 1113, 1126, 1114, 1064, 1120 में दाउ व दूला अजवतन मुस्मात धन्नी बहिस्से बराबर 1 हि. लाडू व केशा नाबालिगान अजवतन मु. बज्जी बहिस्से बराबर 1 हि. पि. भूरा कौम मेरात सा. देह दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 294 में दर्ज साबिक खसरा संख्या 1118 में दाउ मजकूरान गैर काबिजान काबिज हकियत हमीरा व हेमा पिता पहाड़ा कौम मेरात सा. देह दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 295 में अंकित साबिक खसरा संख्या 1232 में दाउ व दूला अजवतन मुस्मात धन्नी बहिस्से बराबर 1 हि. लाडू व केशा नाबालिगान अजवतन मु. बज्जी बहिस्से बराबर 1 हि. पि. भूरा नाथा व हजारी व तेजा व पेमा पिता जवाना बहिस्से बराबर 1 हि. रोडा वल्द उमा 1 हि. कौम मेरात सा. देह दर्ज है। ग्राम राजियावास की प्रमाणित वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 166/169 मे अंकित हाल खसरा संख्या 1259, 1418, 1479, 1480, 1486, 1487, 1488, 1489, 1497, 1498, 1499 में दूला लाडू केशा पि0 भूरा कौम मेरात सा0 देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 172/176 में अंकित हाल खसरा संख्या 1696, 1697 में दूला वल्द भूरा, नूरा वल्द भवाना कौम मेरात सा. देह दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 173/177 में अंकित हाल खसरा संख्या 1257, 1503 में दूला वल्द भूरा कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम राजियावास की रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2041–44 के खाता संख्या 160/166 में अंकित हाल खसरा संख्या 1259, 1418, 1479, 1480, 1486, 1487, 1488, 1489, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502 में दूला लाडू केशा पि0 भूरा कौम मेरात सा0 देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 162/172 में अंकित हाल खसरा संख्या 1696, 1697 में दूला वल्द भूरा, नूरा वल्द भवाना कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 163/173 में अंकित हाल खसरा संख्या 1257, 1503, 1634 में दूला वल्द भूरा कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम राजियावास की जमाबन्दी संवत् 2043–46 क खाता संख्या 155/160 में अंकित खसरा संख्या 1259, 1418, 1479, 1480, 1486, 1487, 1488, 1489, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502 में दूला लाडू केशा पि0 भूरा कौम मेरात सा0 देह खातेदार दर्ज है तथा दाखिल खारिज नं. 100 दि. 21.07.88 से बख्शीस की वशियत का दूला वल्द भूरा के बजाय नैनी जोजे केशा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति होना दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 157/162 तथा खाता संख्यचा 158/163 में भी उक्त नामान्तरकरण संख्या 100 दिनांक 21.07.1988 वसीयत का दूला वल्द भूरा के बजाय नैनी जोजे केशा के नाम स्वीकृत होना दर्ज है। उसके पश्चात् बनी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2051–54 के खाता संख्या 203/186 तथा खाता संख्या 204/187 तथा खाता संख्या 205/188 में दूला वल्द भूरा के बजाय नैनी जोजे

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

केशा का नाम दर्ज चला आता है। ग्राम राजियावास की जमाबन्दी संवत् 2055–58 के खाता संख्या 258/203 में अंकित खसरा संख्या 1259, 1418, 1479, 1480, 1486, 1487, 1488, 1489, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502 में लाडू पि. भूरा कौम मेरात के स्वर्गवास होने उसके वारिसान महेन्द्र, नरपतसिंह, शमशेरसिंह पि0 लाडू व सायरी बेवाह लाडू के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 10.09.98 में दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामा.सं. 661 दिनांक 18.12.2001 क अनुसार ख.नं. 1488, 1497 बेचान द्वारा मु. नेनी जोजे केशा व केशा वल्द भूरा का सम्पूर्ण हिस्सा श्रीमती जनता पत्नि महेन्द्रसिंह जाति मेरात सा. देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा खसरा नम्बर 1487, 1498 बेचान द्वारा मु. नैनी जोजे केशा व केशा वल्द भूरा के बजाय नवीन अंकन श्रीमती जनता धर्मपत्नि महेन्द्रसिंह जाति मेरात 1/2 हि व मु. नैनी जोजे केशा व केशा वल्द भूरा 1/2 हि. दर्ज करने की स्वीकृति होना दर्ज है। ग्राम राजियावास की जमाबन्दी संवत् 2059–62 के खाता संख्या 192/258मिन में अंकित खसरा संख्या 1487, 1498 में केशा वल्द भूरा की विरासत से केशा वल्द भूरा के स्थान पर मु. नैनी बेवा केशा कोम मेरात के नाम नामान्तकरण संख्या 790 दिनांक 28.04.2006 अंकन होना दर्ज है एवं नाम.सं. 796 दिनांक 25.05.2006 से सम्पूर्ण खातें में विक्रेता मु. नैनी जोजे केशा कौम मेरात के स्थान पर बहक क्रेती मु. जनता जोजे महेन्द्रसिंह कौम मेरात सा. देह खातेदार के नाम अंकन स्वीकृत होना दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2059–62 में अंकित खसरा संख्या 1696, 1697 में मु. नैनी जोजे केशा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जनता जोजे महेन्द्रसिंह कौम मेरात सा. देह खातेदार के नाम बेचान से नामा.सं. 796 दिनां 25.05.2006 से दर्ज होना पाया गया है। खाता संख्या 277/260 अंकित खसरा संख्या 1257, 1503, 1634 में खसरा संख्या 1257/2 रकबा 01–00–10 बेचान से मु. नैनी जोजे केशा के बजाय रेशमी पत्नि लक्ष्मणसिंह कोम मेरात सा. देह तथा खसरा संख्या 1257/1 रकबा 00–02–10 बेचान से मु. नैनी जोजे केशा के स्थान पर जनता जोजे महेन्द्रसिंह दर्ज होना अंकित है। ग्राम राजियावास पटवार क्षेत्र राजियावास की जमाबन्दी संवत् 2066–69 के खाता संख्या 294 में अंकित खसरा संख्या 1418 रकबा 01–16–00, 1479 रकबा 00–10–10, 1486 रकबा 01–15–00, 1489 रकबा 00–12–00, 1499 रकबा 00–06–10 कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 05–0–00 में नैनी बेवा केशा 2/3 हि. महेन्द्रसिंह नरपतसिंह शमशेरसिंह पि. लाडू व सायरी बेवा लाडू 1/3 हिस्सा कौम मैरात सा. देह खातेदार दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामा.सं. 1149 दिनांक 17.05.2012 के नोट अनुसार बेचान से ख.नं. 1418 रकबा 01–16–00, 1479 रकबा 00–10–10, 1486 रकबा 01–15–00, 1489 रकबा 00–12–00 पर सायरी बेवा लाडू के स्थान पर मदीना पत्नि नरपत, यशोदा पत्नि शमशेर कौम मेरात के नाम नवीन अंकन स्वीकार होना दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 183 में अंकित खसरा संख्या 1487 रकबा 00–19–00, 1498 रकबा 00–11–00 में जनता धर्मपत्नि महेन्द्रसिंह 1 हि. महेन्द्रसिंह नरपतसिंह शमशेरसिंह पि. लाडू व सायरी बेवा लाडू कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामान्तकरण संख्या 1149 दिनांक 17.05.2012 के नोट अनुसार बेचान से सम्पूर्ण खाते में सायरी बेवा लाडू कौम मेरात के स्थान पर मदीना पत्नि नरपत यशोदा पत्नि शमशेर कौम मेरात के नाम नवीन अंकन स्वीकार होना दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 184 में अंकित खसरा संख्या 1488 रकबा 01–17–00, 1497 रकबा 00–07–10 में जनता पत्नि महेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह नरपतसिंह शमशेरसिंह पि. लाडू व सायरी बेवाह लाडू कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है तथा इसी जमाबन्दी में लगे नामान्तकरण संख्या 1149 दिनांक 17.05.2012 के नोट अनुसार बेचान से सम्पूर्ण खाते में सायरी बेवा लाडू

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

कौम मेरात के स्थान पर मदीना पत्नि नरपत यशोदा पत्नि शमशेर कौम मेरात के नाम नवीन अंकन स्वीकार होना दर्ज है। ग्राम राजियावास की जमाबन्दी संवत् 2066–69 के खाता संख्या 471 में अंकित खसरा संख्या 1480 महेन्द्रसिंह नरपरसिंह शमशेरसिंह पि. लाडू हि.11/12 सायरी बेवा लाडू हि.1/11 कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 585 में अंकित खसरा संख्या 1259 रेशमी पत्नि लक्ष्मणसिंह कौम मेरात सा. देह हि. 25/36 व महेन्द्रसिंह वल्द लाडूसिंह हि. 11/36 कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 181 में अंकित खसरा संख्या 1257/1, 1503, 1634 जनता जोजे महेन्द्रसिंह कौम मेरात सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 182 में अंकित खसरा संख्या 1696, 1697 जनता जोजे महेन्द्रसिंह नूरा वल्द भवाना कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज है। पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 11.12.2001 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें श्रीमती नैनी जोजे केशा व श्री केशा वल्द भूरा ने खसरा संख्या 1497, 1498, 1488, 1497 में जो अपना चुकता हक हिस्सा बनता है वह क्रेता श्रीमती जनता धर्मपत्नि श्री महेन्द्रसिंह जाति मेरात निवासी राजियावास को बेचान किया जाना अंकित है। इसी प्रकार श्रीमती नैनी पत्नि स्व. केशा ने जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 28.04.2006 के खसरा संख्या 1696, 1697, 1487, 1498 में अपना चुकता हक हिस्सा तथा खसरा संख्या 1257/1, 1503, 1634 की पूरी भूमि क्रेता श्रीमती जनता पत्नि श्री महेन्द्रसिंह जाति मेरात निवासी राजियावास को बेचान किया जाना अंकित है।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण ने जमीला उर्फ जमेला (द्वितीय पत्नि) श्री लाडू द्वारा लाडू की प्रथम पत्नि श्रीमती सायरी बनकर दिनांक 05.04.2012 से अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में अधिक भूमि बेचान किये जाने तथा उक्त बेचाननामें को नल एण्ड वोईड का अनुतोष मूल वाद में चाहा है तथा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के कथन किए हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1696, 1697, 1257/1, 1503, 1634 का उल्लेख किया है जो पूर्व में संयुक्त खातेदारी की रही है, उक्त भूमियों का प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है जबकि मूल वाद बंटवारे को लेकर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम में कथन किए हैं कि दूला पुत्र भूरा जी के एक पुत्री मुन्नी है जो मौजूद है तथा केशा पुत्र भूरा जी के तीन पुत्रिया होने के मौखिक कथन किए हैं जिसे वादपत्र/प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने अपने वादपत्र/प्रार्थना पत्र में तथ्यों को छिपाकर तथा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाए जाने बाबत् प्रथम दृष्टया तथ्य प्रतीत होते हैं तथा अपने वादपत्र/प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 1696, 1697, 1257/1, 1503, 1634 का उल्लेख भी नहीं किया है। हांलांकि उक्त सम्पूर्ण विवादित बिन्दुओं पर मूल वाद में साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही तय किया जा सकेगा। परन्तु इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है तथा सहुलियत का संतुलन भी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है तथा अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम भी खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 05.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर